पत्रांक : 2064 / आयु0क0उत्तराखण्ड / धारा–57 अनु0 / वाणि0कर / 2016–17 / देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(धारा–57, अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 08, ~~मई~~, 2016

प्रार्थना पत्र संख्या – 18 / 05.03.2016
द्वारा – सर्वश्री सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाईजेशन, इन्दिरा नगर कॉलोनी, देहरादून।
उपस्थिति – श्री उदय कुमार सिंह, सचिव उत्तराखण्ड राज्य शाखा।
निर्णय का दिनांक – 08/06/, 2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना सर्वश्री सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाईजेशन, इन्दिरा नगर कॉलोनी, देहरादून द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है कि उनके द्वारा हरिद्वार मेला क्षेत्र में सफाई का कार्य किया जायेगा, जिसमें कूड़े / गन्दगी को उठाकर नियत स्थान पर पहुंचाया जायेगा तथा सफाई किये जाने वाले स्थान पर रसायन, चूना व अन्य कीटनाशकों का छिडकाव किया जायेगा। इस क्रम में उनके द्वारा इस प्रकार किये जा रहे कार्य पर करदेयता स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून का मत प्राप्त किया गया। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध दिनांक 24.11.2015 में कार्य की प्रकृति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि फर्म द्वारा निश्चित रूप से कैमिकल / पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जायेगा एवं चूंकि कैमिकल का प्रयोग / छिड़काव करना भी प्रोसेसिंग है, अतः प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत प्रयुक्त माल का प्रयोग काफी कम होने के बावजूद भी प्रयुक्त माल की कीमत संकर्म संविदा के लिये Substantial part होने के कारण उक्त कार्य संकर्म संविदा के अन्तर्गत आयेगा। इसके अतिरिक्त संविदा पर राइट टू यूज के अन्तर्गत करदेयता भी बनती है, जिसे पूर्णतः श्रम का कार्य नहीं कहा जा सकता है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रेषित नोटिस के अनुपालन में श्री उदय कुमार सिंह, सचिव उत्तराखण्ड राज्य शाखा ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा यह उल्लिखित किया गया कि मेलाधिकारी अर्धकुम्भ मेला 2016 हरिद्वार से प्राप्त उक्त संविदा के अन्तर्गत उनके द्वारा जो कार्य किया जायेगा वह मात्र "सर्विस" की श्रेणी में आता है तथा इसमें किसी वस्तु का हस्तांतरण नहीं होता है, जिसके कारण उक्त प्राप्त संविदा में उन पर कोई करदेयता नहीं बनती है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सुनवाई के समय रखे गये तर्क एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0 / प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा प्रेषित आख्या पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ टेण्डर का प्रारूप भी संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार संस्था को सफाई का कार्य दिया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनुलग्नकों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा मुख्यतः सफाई का कार्य किया गया है, इस सफाई के कार्य में कुछ कैमिकल आदि का प्रयोग हुआ है किन्तु इनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है। अतः इस पर कोई करदेयता नहीं होगी। उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा पत्र में निम्न कार्य भी अंकित किये गये हैं–

3- "Supply of men, material & machine on hire basis for management and disposal of biodegradable solid waste during Ardh Kumbh Mela, 2016 Haridwar."
4. "To provide and maintain the portable and temporary toilets, urinal and bathrooms including house keeping and maintenance for Ardh Kumbh Mela, 2016 Haridwar."

उक्त कार्य की प्रकृति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उपरलिखित कार्यों में संविदी द्वारा किराया अदा किया जाना है अतः इस तथ्य के दृष्टिगत उक्त संविदा विशेष की अन्य शर्तों के अध्ययनोपरान्त

O/C

यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रश्नगत संविदा या संविदा का कुछ भाग उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत ''राइट टू यूज'' की श्रेणी में आती है अथवा नहीं। यदि उक्त संविदा विशेष ''राइट टू यूज'' के अन्तर्गत आती है तो ऐसी दशा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 15 के अन्तर्गत माल के उपयोग के अधिकार के अन्तरण से सम्बन्धित आवर्त का अवधारण के अन्तर्गत कर की संगणना शुद्ध आवर्त पर की जायेगी जिस पर वर्तमान में 05 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

जहां तक उनके द्वारा हरिद्वार मेला क्षेत्र में सफाई का कार्य किया जाना, जिसमें कूडे/गन्दगी को उठाकर नियत स्थान पर पहुंचाया जाना तथा सफाई किये जाने वाले स्थान पर रसायन, चूना व अन्य कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना है, यह पूर्णतः सर्विस कार्य है, जिसमें किसी वस्तु का अन्तरण संविदाकार से संविदी को नहीं हो रहा है परन्तु अस्थायी टॉयलेट्स, यूरिनल तथा बाथरूम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (55) के अन्तर्गत परिभाषित ''संकर्म संविदा'' के अन्तर्गत आते हैं जिसके फलस्वरूप उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 14 के अन्तर्गत संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के आवर्त का अवधारण करते हुए शुद्ध आवर्त पर धारा 4 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन कर की संगणना की जायेगी।

तद्नुसार आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2064 /दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/बाजपुर/रूद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7– असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–9, देहरादून।
8– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
9– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
10– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
11– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
12– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड